न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 12/2018 जिला दौसा

1. मनभर देवी पत्नी मूलचन्द मीना जाति मीना निवासी श्यामपुरा की ढाणी झोपडिया पोस्ट मोहनपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर राज0।

—अपीलान्ट

बनाम

1. छोटी पत्नी स्व0 छोट्या
2. रामफूल पुत्र छोट्या
3. सुनिता पत्नी स्व0 रामावतार
   समस्त जाति मीना निवासी कुशलपुरा तहसील रामगढपचवारा पूर्व तहसील लालसोट जिला दौसा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लालसोट जिला दौसा।
5. तहसीलदार तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा।
6. बदाम देवी पुत्री कजोड पत्नि बाबूलाल जाति मीना निवासी कुशलपुरा तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा हाल निवासी मांदेडा सुनारपुरा तहसील लवाण जिला दौसा।

—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय अति0 जिला कलक्टर दौसा दिनांक 27.02.2018 अपील संख्या 13/2012 उनवानी छोटी बनाम रामफूल वगै0 बाबत् नामान्तरकरण संख्या 40 ग्राम कुशलपुरा दिनांक 03.02.1976 के संबंध में पारित किया गया।

उपस्थित—

1. वकील अपीलान्ट श्री अशोक कुमार जोशी।
2. वकील रेस्पोडेन्ट श्री राजेश मीना रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से।
3. वकील रेस्पोडेण्ट श्री मुकेश शर्मा रेस्पो0 संख्या 6 की ओर से।
4. राजकीय अधिवक्ता श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल रेस्पोडेन्ट नं. 1 व 4 की ओर से।

निर्णय

दिनांक —08.08.2023

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 27.02.2018 के खिलाफ प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत हुई है ।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि यह कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 छोटी पत्नी स्व0 छोट्या द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर दौसा के समक्ष वाके ग्राम कुशलपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा में स्थित विवादित कृषि भूमि का खोले गये नामान्तरकरण संख्या 40 दिनांक 03.02.1976 को गलत बताते हुये निरस्त फरमाये जाने की अपील की जिस पर अति0 जिला कलक्टर दौसा द्वारा दिनांक 27.02.2018 को नामान्तरकरण संख्या 40 को निरस्त कर नायब तहसीलदार लालसोट को प्रतिप्रेषित किया की प्रकरण के संबंध में मृतक खातेदार के विधिक वारिसान की जॉच कर अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्वत् पुनः निर्णय पारित करने के आदेश दिये गये।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

Scanned by CamScanner

3. अति0 जिला कलक्टर दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 27.02.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट मनभर देवी पत्नी मूलचन्द मीना द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश अति0 जिला कलक्टर, दौसा के निर्णय दिनांक 27.02.2018 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । वकील रेस्पोडन्ट संख्या 2 व 3 अनुपस्थित। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलांट्स सद्भावी क्रेता है तथा उनके द्वारा दिनांक 22.05.2012 को तत्कालीन खातेदार कैलाशी पत्नी कजोड जो कि उक्त भूमि की 1/4 हिस्से की खातेदारी काश्तकार थी, उससे उचित प्रतिफल राशि अदा कर विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की है । उक्त विक्रय पत्र के माध्यम से राजस्व अधिकारियों द्वारा नामान्तरकरण अपीलांट के पक्ष में तस्दीक कर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाया गया एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना ही लगभग 36 वर्षो बाद पेश अपील को रिमाण्ड कर दिया। अनुसूचित जनजाति पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होने के कारण सामाजिक रूढी प्रथा अनुसार पुरूष वारिस होने की स्थिति में महिलाओं को अधिकार प्राप्त नहीं होता है। नायब तहसीलदार द्वारा रेस्पोडेण्ट संख्या 1 छोटी द्वारा सहमति लेने के पश्चात् ही नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना एवं दस्तावेजों का अवलोकन किये बिना ही 36 वर्षों बाद पेश अपील में मियाद बिन्दु पर निर्णय दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अति0 जिला कलक्टर, दौसा दिनांक 27.02.2018 निरस्त किया जावे।

6. रेस्पोडेण्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि उक्त कृषि भूमि प्रार्थीनी के पति छोट्या पुत्र काना के खातेदारी की है। छोट्या के मृत्यु उपरान्त नायब तहसीलदार द्वारा छोट्या के विरासत का नामान्तरकरण संख्या 40 दिनांक 03.02.1976 उसके दोनों नाबालिग पुत्रान् कजोड, रामफूल पिता छोट्या के नाम गलत रूप से तस्दीक कर दिया गया। जिसमें मृतक की पत्नि छोटी के नाम नामान्तरकरण नहीं खोला गया। जबकि छोटी द्वारा हकत्याग नहीं किया गया है। अनुसूचित जनजाति में पुत्री को अधिकार नहीं दिये गये हैं किन्तु पत्नि/मॉ को अधिकार दिये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने तथ्यों व मौके पर कब्जे की जॉच पश्चात् ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का अवसर देते हुये रिमाण्ड के आदेश दिये गये हैं। अतः ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. राजकीय अधिवक्ता ने भी बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नायब तहसीलदार को मृतक खातेदार के विधिक वारिसान की जॉच कर अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्वत् पुनः निर्णय पारित करने के आदेश दिये गये हैं जो कि उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

8. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि मुख्य विवाद मृतक छोटिया की विरासत को लेकर है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

Scanned by CamScanner

छोटिया पुत्र काना के निधन के पश्चात नामान्तरकरण उसके दोनों नाबालिग पुत्र कजोड, रामफूल पि. छोटिया के नाम नामान्तरकण संख्या 40 वाकै ग्राम कुशलपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा दिनांक 03.02.1976 को नायब तहसीलदार लालसोट द्वारा तस्दीक किया गया है। नायब तहसीलदार लालसोट जिला दौसा के आदेश दिनांक 03.02.1976 के विरूद्ध छोटी बेवा छोट्या द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के यहां अपील पेश की। अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा ने छोटी बेवा छोट्या की अपील स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 40 दिनांक 03.02.1976 ग्राम कुशलपुरा तहसील लालसोट को निरस्त किया जाकर प्रकरण नायब तहसीलदार लालसोट को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया गया कि प्रकरण में मृतक खातेदार के विधिक वारिसान की जांच कर अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित कर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने के आदेश पारित किये गये हैं। हमारा विनम्र मत है कि विवादित भूमि के खातेदार छोटिया पुत्र काना के निधन के पश्चात उनके पुत्र कजोड, रामफूल व पत्नि छोटी बेवा छोट्या थे लेकिन नायब तहसीलदार लालसोट ने बिना वारिसान की जॉच के छोटिया की विरासत का नामान्तरकरण संख्या 40 दिनांक 03.02.1976 ग्राम कुशलपुरा तहसील लालसोट को कजोड, रामफूल पुत्र छोटिया के नाम तस्दीक कर दिया जो विधि सम्मत नहीं है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट नं. 1 छोटी, छोटिया की पत्नी होने से छोटिया की भूमि में 1/3 हिस्सा चाहती है। कजोड की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी कैलाशी के द्वारा 1/4 हिस्से की रजिस्ट्री जो अपीलान्ट मनभरी के हक में की गयी है, को निरस्त करवाने बाबत दावा संख्या 15/18 एवं टी.आई. प्रार्थना पत्र संख्या 09/18 अपर जिला न्यायाधीश लालसोट जिला दौसा में पेश किया हुआ है। अपर जिला न्यायाधीश लालसोट के स्थगन आदेश दिनांक 21.07.2022 द्वारा विवादित भूमि के रिकार्ड की स्थिति मूल वाद के निस्तारण तक यथावत रखने के पाबन्द किया हुआ है। विक्रय पत्र के आधार पर हक चाहने वाले व्यक्ति को अपने अधिकार सक्षम न्यायालय से तय कराने होगें। नामान्तकरण एक Fiscal entry है तथा नामान्तकरण द्वारा स्वामित्व का निर्धारण नही किया जा सकता है। इस प्रकार पक्षकारो के मध्य यदि स्वामित्व का विवाद है तो वह सक्षम न्यायालय द्वारा ही निर्धारित किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर ने प्रकरण नायब तहसीलदार को सभी पक्षकारों को पुनः सुनवाई का अवसर देते हुए छोटिया पुत्र काना मीणा के विधिक वारिसान की जांच कर अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत निर्णय करने हेतु रिमाण्ड किया है जिसमें हम कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाते हैं । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.02.2018 उचित प्रतीत होता है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलान्ट निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा का निर्णय दिनांक 27.02.2018 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

8/8/23

(असलम शेर खान)
अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner